संख्या-864/2017/1940/22-2-2017-17(363)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुवर पुत्र श्री सोहन निवासी जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28866/प्रोबे-5-दया0/152, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुवर पुत्र श्री सोहन जो ग्राम-बाघू, थाना-बागपत, जनपद-बागपत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन के कब्जे की रंजिश को लेकर दिनाक 20-07-1984 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बलकटी एवं बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 अन्य को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-668/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 147 के अन्तर्गत मा0 नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 23.06.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायाल के आदेश 27.05.2014 द्वारा धारा-304(2) में 08 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2017 तक 02 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 03 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् तथा 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रघुवर (बन्दी संख्या-138/16) पुत्र श्री सोहन निवासी जनपद-बागपत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-864/2017/1940/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in